निर्णय व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 36/2024 (राजस्थान लोक उपापन अधिनियम)

मैसर्स एस एस एसोसिएट्स जरिये अधिकृत इन्द्रा शर्मा पत्नी श्री संतोष शर्मा 103, लक्ष्मण कॉलोनी श्याम नगर गोशाला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

अधीक्षक एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी एवं राजकीय रूकमणी देवी बैनी प्रसाद जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर ।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी राजकीय जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर बाबत निविदा कमांक एनआईबी/लेखा/ निविदा/2024/2015 दिनांक 15.10.2024

उपस्थित :-

1. अपीलार्थी के प्रतिनिधि अपीलार्थी की ओर से।
2. विभागीय पैरोकार रस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.03.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य सचिव राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटी जयपुरिया, अस्पताल, जयपुर द्वारा निविदा कमांक लेखा/ 2024/2015 दिनांक 15.10.2025 से व्यथित हो कर यह प्रथम अपील पेश की है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने उपस्थित हो कर जबाब पेश किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये दलील पेश की कि रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी मैन पावर निविदा की तकनिकी निविदा बोली चैक लिस्ट की शर्त संख्या 11 में प्रतिवर्ष निविदा में भाग लेने वाली फर्म के पिछले 3 वर्ष (31 मार्च 2024) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म से प्रमाणित औसत वार्षिक 50 लाख का टर्न ओवर प्रति वर्ष की मांग की गई। कुल 3 वर्ष का औसत 150 लाख टर्न ओवर की मांग की है जो कि निविदा की अनुमानित लागत से करीब चार गुना से अधिक है । क्योंकि इस शर्त के कारण आपके संलग्न चिकित्सालयों में व महा विद्यालयों में कई वर्षो का अनुभव रखने वाले अनुभवी निविदाता इस शर्त के कारण निविदा में भाग लेने में असमर्थ हो जायेगे। इस हेतु उक्त अपील के माध्यम से निविदा में भाग लेने हेतु निविदा का कुल अनुमानित लागत 35 लाख का टर्न ओवर प्रति वर्ष 10 लाख के रूप में संशोधन किया जाये, जिससे समस्त

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

फर्मो को निविदा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके । यहां यह कथन करना भी आवश्यक है कि प्रकाशित निविदा में वार्षिक अनुमानित लागत 35 लाख है जबकि इस ई निविदा में टर्न ओवर 50 लाख वार्षिक की मांग की गई है जबकि इस कार्य में बोलीदाता को मासिक आधार पर भुगतान किया जायेगा न की वार्षिक । राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 व राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन नियम 2013 में इतना अधिक टर्न ओवर रखने का उल्लेख नहीं किया गया है । यह शर्त टर्न ओवर की राजस्थान सरकार के वित विभाग के आदेश दिनांक 30.04.2018 व राजस्थान लोक उपापन अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन नियम 2013 के विपरीत शर्त है। मैन पावर की निविदा सूचना की बिन्दू संख्या 5 में यह उल्लेख किया गया है कि किसी भी निविदा को स्वीकार अस्वीकार करने या बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है यह किस नियम के तहत रखा है इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। मैन पावर निविदा में तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र की मांग की गई है जिसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र केवल किसी भी प्रकार की मैन पावर या केवल नर्सिंग कर्मी के अनुभव प्रमाण पत्र माने जाऐगे, स्पष्ट करवाने का श्रम करें। निविदा की शर्त संख्या 11 के बिन्दू संख्या 3 में यदि 2 या 2 से अधिक बोलीदाताओं की दरे समान प्राप्त होती है तो कार्यादेश सभी फर्मो को दिया जायेगा या एक ही फर्म को दिया जायेगा। रेस्पोडेन्ट संस्था द्वारा नियमों के विरूद्व ई संविदा जारी कर कुछ ही व्यक्ति विशेष व अपनी फर्म को लाभान्वित करने हेतु बेबुनियादी शर्तो को संयोजित कर उक्त निविदा 2015 दिनांक 15.10.2024 को जारी कर प्रवधानों के नियमो के उल्लंधन से व्यथित होने पर अपील बाबत निस्तारण एवं निर्णय पारित करने के आदेश हेतु अपील प्रस्तुत है । निविदा संख्या 2015 दिनांक 15.10.2024 को नियमानुसार निरस्त करते हुये पुनः नवीन निविदा जारी किये जाने के आदेश फरमावें।

5. रेस्पोडेन्ट के प्रतिनिधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि इस निविदा में दिनांक 29.10.2024 को प्री बिड मिटिंग रखी गई थी। प्री बिड मिटिंग में अपीलार्थी उपस्थित था तथा अपीलार्थी ने अपना लिखित अभ्यावेदन देकर पक्ष रखा था। उपापन समिति द्वारा प्री बिड में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श करने के पश्चात बिड प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन/ स्पष्टीकरण पत्र कमांक 2099 दिनांक 26.10.2024 द्वारा कर दिया था। साथ ही पत्र कमांक 2079 दिनांक 24.10.2024 द्वारा बिड भरने की अंन्तिम तिथि 5.11.2024 तक बढा दी गई थी। अपीलार्थी द्वारा टर्न ओवर की राशि कम करवाने के इरादे से दुर्भावनापूर्वक आंकडे तोड मरोड कर प्रस्तुत किये गये है । इस बिड की लाग 35 लाख रूपये वार्षिक अनुमानित की गई थी तथा तीन वर्ष के औसत टर्न ओवर की राशि 50 लाख रूपये रखी गई थी। यह उपापन समिति द्वारा विचार विमर्श कर बिड प्रपत्र एवं शर्त अनुमोदित की गई थी । RTPP Act की धारा 40 के अनुसार उपापन संस्था समिति द्वारा इस अधिनिय की धारा 5, 6, 15, 26 एवं धारा 49 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों पर अपील स्वीकार नही की जा सकती है। इस अपील में उठाये गये समस्त बिन्दुओं की विषय वस्तु इन्हीं घाराओं के अन्तर्गत आती है । अत यह अपील RTPP अधिनियम के विपरीत होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य है तथा दुर्भावनापूर्वक उपापन प्रकिया में हस्तेक्षप करते हुये उपापन प्रकिया को बाधा पहुंचाने तथाा उपापन की प्रकिया का स्वयं के लाभ के लिये तोडने मरोडने के इरादे से पेश की गई है। उपापन संस्था समिति द्वारा पूर्ण सोच विचार कर बिड की कार्यवाही की गई है तथा प्री बिड के पश्चात आवश्यक संशोधन किये गये है । इस बिड में कुल 5 फर्मो ने भाग लिया जिसमें से 04 फर्मे

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

तकनीकि रूप से योग्य पाई गई। इन 4 फर्मों की वित्तीय बिड खोली गई। दो फर्मों ने बिड शर्तों के अनुसार वित्तीय बिड नहीं भरने के कारण बिड में अयोग्य हो गई तथा दो फर्मों की वित्तीय बिड शर्तों के अनुसार होने के कारण दोनों फर्मों को अनुमोदित कर कार्य का बराबर-बराबर आवंटन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लगाये गये आरोप मनगढन्त एवं असत्य है। राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कार्य का 03 वर्ष का अनुभव होने पर अधिकतम 30 अंक नर्सिंग अधिकारी की भर्ती मे बोनस के रूप में दिये जाते है। फर्म उपरोक्त बोनस अंकों के लाभ को अपने स्वार्थ या अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग में लेने के लिये इस प्रकार की बिड प्राप्त करना चाहती है। इसी स्वार्थ के चलते फर्मो द्वारा बिड प्रकिया में अपील प्रस्तुत कर उपापन अधिकारियों की शिकायतें कर अनावश्यक दबाव पैदा करना जैसे कार्य किये जा रहे है, जिसका उद्देश्य पवित्र नहीं है। बिड प्रकिया पूर्ण रूप से नियमानुसार एवं पारदर्शिता के साथ ई प्रोक पर ऑन लाईन सम्पादित की गई है। अपीलार्थी फर्म द्वारा बिड में भाग नहीं लिया गया है । अपील निरस्त किये जाने योग्य है तथा RTPP Act की धारा 42 के अन्तर्गत दुर्भावना पूर्वक उपापन की प्रकिया में अनावश्यक हस्तक्षेप व तंग करने वाली अपील है । RTPP Act के अनुसार अपीलार्थी पर उपापन के मूल्य 35 लाख की 20 प्रतिशत राशि 7 लाख का अर्थ दण्ड लगाते हुये अपील निरस्त करने के आदेश फरमावे

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील किस अधिनियम व किस धारा के तहत प्रस्तुत की गई है इसका कोई उल्लेख अपील मीमों में नहीं किया गया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि उपापन समिति द्वारा प्री बिड में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार विमर्श करने के पश्चात बिड प्रपत्रों में आवश्यक संशोधन/स्पष्टीकरण पत्र कमांक 2099 दिनांक 26.10.2024 द्वारा किया गया है। साथ ही पत्र कमांक 2079 दिनांक 24.10.2024 द्वारा बिड भरने की अंन्तिम तिथि भी दिनांक 5.11.2024 तक बढा दी गई थी। बिड की लागत 35 लाख रूपये वार्षिक अनुमानित की गई थी तथा तीन वर्ष के औसत टर्न ओवर की राशि 50 लाख रूपये रखी गई थी। यह उपापन समिति द्वारा विचार विमर्श कर बिड प्रपत्र एवं शर्त अनुमोदित की गई है । RTPP Act की धारा 40 के अनुसार उपापन संस्था समिति द्वारा इस अधिनियम की धारा 5, 6, 15, 26 एवं धारा 49 के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों पर अपील स्वीकार नही की जा सकती है। बिड प्रकिया पूर्ण रूप से नियमानुसार एवं पारदर्शिता के साथ ई प्रोक पर ऑन लाईन सम्पादित की गई है। बिड के नियम व शर्ते उपापन समिति/अधिकारी द्वारा अनुमोदित है। प्रत्यर्थी द्वारा जारी बिड/निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner